न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोण्डा।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–282/2026
CNR No.UPGD010033132026

कामती देवी बनाम दयाराम

दिनांक–22.07.2026

1– पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थिनी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

2– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० आवेदिका कामती देवी द्वारा सारतः इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी कामती देवी पुत्री स्व० मोल्हू, निवासिनी ग्राम पतिजिया खुर्द, थाना छपिया, जनपद गोण्डा की अनुसूचित जाति की महिला है। प्रार्थिनी के गांव में विपक्षी दयाराम पुत्र राजाराम निवासी ग्राम तालागंज ग्रन्ट, थाना छपिया, जनपद गोण्डा अपने आपको बिजली विभाग का अधिकारी बनकर जाँच पड़ताल के नाम पर प्रार्थिनी के घर महीने में कई बार आते थे। फलस्वरूप विपक्षी उपरोक्त ने कूटरचित षड्यन्त्रपूर्ण तरीके से खुद को अविवाहित बताकर प्रार्थिनी को गुमराह करते हुए शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार किया। शादी करने की बात पर विपक्षी द्वारा टाल मटोल करते हुए लगभग 2 वर्षों तक प्रार्थिनी सच्चाई से अवगत नहीं होने दिया। दिनांक–27.04.2026 समय करीब 8:30 बजे शाम विपक्षी उपरोक्त अपने अज्ञात मित्र के साथ प्रार्थिनी के घर आये और प्रार्थिनी पर अपने मित्र के साथ एक रात गुजारने का दबाव बनाने लगे। प्रार्थिनी के विरोध करने पर विपक्षी ने जातिसूचक भद्दी भद्दी गालियां देकर प्रार्थिनी के घर के कमरे में ही लात–मूका थप्पड़ से मारने लगे और कहा कि मैं तुमसे शादी नही करूंगा। वरवक्त घटना प्रार्थिनी की वृद्ध मां के आ जाने पर विपक्षी प्रार्थिनी को जान से मार देने की धमकी देते चले गये। प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना थाना स्थानीय पर जाकर दिया लेकिन थाने पर प्रार्थिनी की कोई सुनवाई नही हुई। तब पुलिस अधीक्षक गोण्डा को दिनांक– 29.04.2026 को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर भी कोई कार्यवाही आज तक न होने की दशा में न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र दे रही है। उक्त आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

3– उक्त प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध विपक्षी दयाराम यादव द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका द्वारा जो प्रार्थना पत्र 173(4) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत दिया गया है कि वह वास्तविकता से परे है, इस प्रार्थना पत्र के पूर्व भी इसी कामती देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र शादी का झांसा देने के बावत एवं शादी न करने को लेकर यौन शोषण दिखाते हुए प्रार्थना पत्र प्रकीर्ण वाद संख्या 113/2024 दायर किया था

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.23 10:46:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जो दिनांक 13.08.2024 को न्यायालय द्वारा समग्र परिस्थितियों को विचार करते हुए निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्ध आवेदिका ने किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आपत्तिकर्ता व आवेदिका का भाई बिजली विभाग में है, जो आपत्तिकर्ता से नाजायज धन वसूलने के गरज से बार–बार प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। प्रार्थना पत्र बिल्कुल फर्जी घटना दिखाते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में कोई कूटरचित षडयंत्र नहीं है और पूर्व प्रार्थना पत्र में भी शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात कही गयी थी जो गलत है। आवेदिका द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि विपक्षी द्वारा 10–12 वर्षों से मेरा शोषण कर रहा है, जबकि वर्तमान प्रार्थना पत्र मे आवेदिका द्वारा ही कहा गया है कि दो वर्षो से गुमराह करता है, जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा झूठे कथनों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र दिया गया है क्योंकि उक्त कथन आपस में विरोधाभासी हैं। प्रार्थना पत्र में आवेदिका द्वारा विपक्षी को अविवाहित बताकर शादी का झांसा देकर सम्बन्ध बनाना एवं शादी की बात कर टालमटोल करने का आरोप लगाया गया है एवं कथित घटना दिनांक को अज्ञात व्यक्ति के साथ रात गुजारने की दबाव बनाने का भी अभिकथन किया गया है। उक्त दोनों बात अपने आप में विरोधाभासी हैं। प्रार्थना पत्र में मारपीट के दौरान आवेदिका को आयी चोटों के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण घटना झूठी एवं बनावटी है। आपत्तिकर्ता शादीशुदा है, प्रार्थी की उम्र 45 वर्ष है और प्रार्थी के चार बच्चे भी हैं। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। आपत्ति के साथ प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या 113/2024 में पारित आदेश दिनांकित 13.08.2024 की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4– आवेदिका के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में संबंधित थाना से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– आवेदिका का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थिनी के गांव में विपक्षी दयाराम अपने आपको बिजली विभाग का अधिकारी बनकर जाँच पड़ताल के नाम पर प्रार्थिनी के घर महीने में कई बार आते थे। फलस्वरूप विपक्षी उपरोक्त ने कूटरचित षड्यन्त्रपूर्ण तरीके से खुद को अविवाहित बताकर प्रार्थिनी को गुमराह करते हुए शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार किया। शादी करने की बात पर विपक्षी द्वारा टाल मटोल करते हुए लगभग 2 वर्षों तक प्रार्थिनी सच्चाई से अवगत नहीं होने दिया। दिनांक–27.04.2026 समय करीब 8:30 बजे शाम विपक्षी उपरोक्त अपने अज्ञात मित्र के साथ प्रार्थिनी के घर आये और प्रार्थिनी पर अपने मित्र के साथ एक रात गुजारने का दबाव बनाने लगे। प्रार्थिनी के विरोध करने पर विपक्षी ने जातिसूचक भद्दी भद्दी गालियां देकर प्रार्थिनी के घर के कमरे में ही लात–मूका थप्पड़ से मारने लगे और कहा कि मैं तुमसे शादी नही करूंगा। वरवक्त घटना प्रार्थिनी की वृद्ध मां के आ जाने पर विपक्षी प्रार्थिनी को जान से मार देने की धमकी देते चले गये।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस प्रार्थना पत्र के पूर्व भी आवेदिका कामती देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र शादी का झांसा देने के बावत एवं शादी न करने को लेकर यौन शोषण दिखाते हुए प्रार्थना पत्र प्रकीर्ण वाद संख्या 113/2024 दायर किया था

जो दिनांक 13.08.2024 को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। थाना स्थानीय की आख्या के साथ आवेदिका व विपक्षी के मध्य हुए सुलहनामा दिनांकित 14.10.2021, 12.03.2023 व 07.06.2023 तथा 11.12.2023 की छायाप्रतियां व विपक्षी द्वारा आवेदिका को विभिन्न तिथियों पर अदा किये गये रूपयों की छायाप्रतियां भी दाखिल की गयी हैं। संलग्न सुलहनामा के परिशीलन से स्पष्ट है कि इस पर विपक्षी व आवेदिका के हस्ताक्षर अंकित हैं तथा आवेदिका द्वारा विपक्षी के साथ विवाह सम्बन्ध होने तथा प्रदत्त धनराशि वापस न किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध बढ़ा चढाकर प्रार्थना पत्र दिये जाने, तदोपरान्त विपक्षी द्वारा धनराशि अदायगी के कारण आवेदिका द्वारा कोई भी कार्यवाही न किये जाने का तथ्य वर्णित किया गया है। थाना स्थानीय द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों व समर्थन में दाखिल किये गये दस्तावेजों की पुष्टि विपक्षी द्वारा दाखिल की गयी आपत्ति एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से भी हो रही है। जिसके विरूद्ध आवेदिका की ओर से इस प्रारम्भिक स्तर पर कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7— अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के बाबत पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट हो चुका है कि आवेदिका द्वारा पूर्व में भी विपक्षी के विरूद्ध इन तथ्यों पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि पूर्व में गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है तथा आवेदिका व विपक्षी के मध्य विवाह सम्बन्ध तय होने व बाद में विवाह सम्बन्ध न होने पर बढा चढाकर प्रार्थना पत्र दिया जाना स्वयं समझौता पत्र में आवेदिका द्वारा अंकित किया गया है। जिसके तहत प्रस्तुत प्रकरण में किसी आपराधिक घटना का कारित होना प्रकट नहीं हो रहा है। अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय मत का है कि प्रार्थना पत्र बी0एन0एस0एस0 की धारा—173(4) निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका **कामती देवी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—173(4) बी0एन0एस0एस0 **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(आलोक शर्मा)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
गोण्डा।
आई.डी.नम्बर—यू.पी.1751

दिनांक—22—07—2026